POLICY BRIEF

REMIT

RAJASTHAN EMPLOYMENT MANUFACTURING INVESTMENT & TRADE

Issue #03 | September 2025

राजस्थान में औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता

राजस्थान की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बिजली, भूमि और मानव पूंजी सहित अनेक कारकों पर आधारित है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के बावजूद, बढ़ती लागत, अक्षमताएँ और विनियामक बदलाव महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।

यह नीति-संक्षेप राजस्थान की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालता है और समकक्ष राज्यों से तुलना के आधार पर लागू की जा सकने वाली नीतिगत हस्तक्षेपों के अवसरों को रेखांकित करता है। इसका प्रमुख सुझाव है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर पारदर्शिता बढ़ाई जाए, विलंब और लालफीताशाही को कम किया जाए तथा साक्ष्य-आधारित औद्योगिक नीतिनिर्माण को सक्षम बनाया जाए।

राज्य की प्रमुख विशेषताएँ

I. ऊर्जा: प्रतिस्पर्धी टैरिफ एवं सुधार की गुंजाइश

- थर्मल ऊर्जा अब भी प्रमुख है, जिसकी क्षमता 7,830 मेगावॉट है; राजस्थान 5,482.66 मेगावॉट उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा में अग्रणी है।
- विद्युत टैरिफ अधिकांश श्रेणियों में अपेक्षाकृत ऊँचे हैं: 33 केवी (एचटी) पर ₹7.1/किलोवाट-घंटा जबकि गुजरात में ₹4.5/किलोवाट-घंटा; 220 केवी+ (एचटी) पर ₹6.9/किलोवाट-घंटा जबकि गुजरात में ₹2.3/किलोवाट-घंटा; और 501 किलोवाट एवं उससे ऊपर (एलटी) पर ₹6.5/किलोवाट-घंटा जबकि गुजरात में ₹4.6/किलोवाट-घंटा।
- मांग एकत्रीकरण की अनुपस्थिति, क्रॉस-सब्सिडी एवं टैरिफ में अस्थिरता औद्योगिक विश्वास को प्रभावित करती है।

II. भूमि: बढ़ती लागत एवं विकसित होते अभिगम तंत्र

- रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना (2025) – चरण-III के अंतर्गत 97 क्षेत्रों में 6,806 औद्योगिक भूखण्ड आरक्षित दरों पर उन निवेशकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्होंने 30 अप्रैल 2025 तक *राइजिंग राजस्थान* पहल के अंतर्गत एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
- तथापि, आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता, रूपांतरण एवं अनुमोदनों में देरी तथा आधारभूत संरचना की तैयारी से जुड़े मुद्दे अब भी बने हुए हैं।

III. मानव पूंजी विकास: लक्षित कौशल विकास एवं मज़बूत कार्यबल के माध्यम से रोजगार योग्यता की खाई को पाटना

- राजस्थान का श्रम भागीदारी अनुपात (WPR) 55.3% और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत प्लेसमेंट दर 15.5% है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बराबर है, पर आंध्र प्रदेश (22.17%) से कम है। राज्य महिला रोजगार योग्यता और आलोचनात्मक चिंतन क्षमता में विशेष रूप से आगे है (इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025)।
- हील इन राजस्थान नीति (2024) और मौजूदा स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बावजूद, अलवर, भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिक खराब स्वच्छता और बीमारियों के बोझ का सामना कर रहे हैं।
- स्थानीय रोजगार योग्यता कमजोर है, जिसका कारण विखंडित कौशल विकास, कठोर श्रम क़ानून और प्रतिभा का पलायन है।

नीचे दी गई तालिका प्रमुख चुनौतियों और सिफारिशों को दर्शाती है। यह सूची संपूर्ण नहीं है।

क्षेत्र	चुनौतियाँ	नीति सिफारिशें
विद्युत शुल्क (Power Tariff)	• गुजरात की तुलना में अधिक इनपुट लागत • सब्सिडी और अधिभार तंत्र में पारदर्शिता का अभाव • ओपन एक्सेस पर उच्च क्रॉस-सब्सिडी • एकसमान शुल्क संरचना से मांग-पक्ष लचीलापन सीमित • मूल्य अस्थिरता निवेश को हतोत्साहित करती है • औद्योगिक स्तर पर बिखरी हुई विद्युत खरीद प्रक्रिया	• एमएसएमई हेतु सरल, स्तरीकृत एलटी फिक्स्ड चार्ज (पंजाब मॉडल) लागू करें; 33 केवी पर निम्न शुल्क बनाए रखें ताकि निवेश आकर्षित हो • सब्सिडी और अधिभार तंत्र को पारदर्शी बनाएं • क्रॉस-सब्सिडी का युक्तिकरण करें (गुजरात मॉडल: कम CSS, कोई अतिरिक्त अधिभार नहीं) • 2023 के संघीय आदेश के अनुसार समय-आधारित शुल्क लागू करें • मूल्य स्थिरता हेतु दीर्घकालिक शुल्क नीति बनाएँ • औद्योगिक क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत खरीद व्यवस्था सक्षम करें (आंध्र प्रदेश के NREDCAP मॉडल की तर्ज पर)
भूमि आवंटन (Land Allotment)	• अर्जित धनराशि (EMD), आरक्षित मूल्य निर्धारण और समिति के विवेक में अस्पष्टता • भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU), स्वीकृतियों और एनओसी में देरी • आवंटन के बाद अधोसंरचना में कमी	• भूमि आवंटन के लिए मानकीकृत दर कार्ड लागू करें (गुजरात मॉडल) और आरक्षित मूल्य व मूल्यांकन मानदंड प्रकाशित करें • 50,000 वर्गमीटर से अधिक या अधिसूचित क्षेत्रों में प्लॉट हेतु निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करें • सभी औद्योगिक स्वीकृतियों हेतु एकीकृत डिजिटल सिंगल-विंडो प्रणाली बनाएँ • भूमि आवंटन को अधोसंरचना तैयारी से जोड़ें; प्लग-एंड-प्ले पार्कों को बढ़ावा दें (महाराष्ट्र मॉडल)
मानव पूंजी विकास (Human Capital Development)	• औद्योगिक मांग और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में असंगति • स्थानीय कार्यबल के कम उपयोग के कारण प्रवासी श्रमिकों पर अत्यधिक निर्भरता, सामाजिक सुरक्षा की कमी • कुशल श्रमिकों का पलायन	• • ज़िला-स्तरीय कौशल योजनाएँ विकसित करें जो “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)” के अनुरूप हों और उद्योग-नेतृत्व वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ाएँ ताकि स्थानीय कार्यबल मज़बूत हो • जन आधार को केंद्रीय ई-श्रम से जोड़ें ताकि अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी संभव हो; औद्योगिक क्षेत्रों में ठेकेदारों को पीएम-जय और ईएसआई पंजीकरण शिविर आयोजित करने के लिए बाध्य करें • श्रमिक सुरक्षा, व्यावसायिक लाभप्रदता और न्यायसंगत, प्रतिस्पर्धी वेतन के साथ प्रशिक्षण से रोजगारपरकता पर ध्यान केंद्रित करने वाली संतुलित श्रम सुधार और रोजगार नीति अपनाएँ

This Policy Brief has been written by Tasmita Sengupta, Senior Research Associate and translated by Madhvendra Singh, Senior Programme Officer, CUTS International.

© CUTS International 2025. This Policy Brief is published under the project entitled, Rajasthan Employment Manufacturing Investment & Trade (REMIT) by CUTS Centre for Competition, Investment & Economic Regulation (CUTS CCIER), D-217, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur 302 016, India. Ph: +91.141.228 2821, Fx: +91.141.228 2485, E-mail: c-cier@cuts.org, Web: www.cuts-ccier.org.
Also at Delhi, Calcutta and Chittorgarh (India); Lusaka (Zambia); Nairobi (Kenya); Accra (Ghana); Hanoi (Vietnam); Geneva (Switzerland); and Washington DC (USA).